[17/3/2022]

विधान तारांकित प्रश्न क्र-3935

प्रश्न स. [क्र. 3935]

परिशिष्ट "अ"

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ- 2-2/सात/शा. 8/2001 भोपाल, दिनांक 26 जनवरी, 2001

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त अध्यक्ष,
   जिला पंचायत, मप्र.
3. समस्त अध्यक्ष,
   जनपद पंचायत, मप्र.
4. समस्त सरपंच,
   ग्राम पंचायत, मप्र.
5. सचिव,
   ग्राम सभा (समस्त)
   मप्र.

विषय.— समस्त पटवारी अभिलेख विशेषकर पंचसाला खसरा, अधिकार अभिलेख बी- 1, जमापूंजी का विस्तार पत्रक/वाजिब उलअर्ज, देवस्थानी भूमि नकल पटवारी नक्शा आदि के पूरे सेट की एक प्रति ग्राम सभा कार्यालय में रखने बाबत।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक ग्राम सभा कार्यालय से संबंधित ग्राम का पटवारी अभिलेख विशेषकर पंचसाला खसरा, पटवारी नक्शा, अधिकार अभिलेख बी- 1, जमापूंजी का निस्तार पत्रक/वाजिब उलअर्ज, देवस्थानी भूमि आदि का पूरा एक सेट इस परिपत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि में तैयार कराया जाकर ग्रामीणों एवं कृषकों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाये।

2. अतः निर्देशित किया जाता है कि संबंधी कलेक्टर अपने जिले की प्रत्येक ग्रामसभा में उक्त अभिलेख का सेट प्रदाय करने हेतु तहसीलदारों को निर्देश दें कि वे स्वयं ऐसे सेट अपनी देखरेख में निर्धारित एक माह की अवधि में तैयार करावें तथा उन्हें प्रमाणित कर एवं दिनांक अंकित कर संबंधित ग्राम सभा को उपलब्ध कराकर पावती रसीद प्राप्त करेंगे। ग्राम सभा में अभिलेख संधारण का उत्तरदायित्व ग्राम सभा के सचिव का होगा।

3. उपरोक्त राजस्व अभिलेख के सेट को तहसीलदार द्वारा प्रत्येक वर्ष के माह मई एवं नवम्बर अर्थात् वर्ष में दो बार ऐसी अवधि में हुई अधिकृत प्रविष्टियों के आधार पर अद्यतन कराया जायेगा तथा अद्यतन कराने के उपरान्त प्रमाणीकरण एवं तिथि अंकित की जाएगी।

4. ऊपर वर्णित अभिलेख केवल भू-धारकों के सुलभ अवलोकन उपयोग के लिए रहेगा। यदि ग्राम सभा चाहे तो विधिवत् प्रस्ताव पारित कर मप्र. पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का पालन करते हुए, पटवारी अभिलेखों के अवलोकन के लिये फीस भी लगाने पर विचार/निर्णय कर सकती है। ग्राम सभा के द्वारा ऐसे अभिलेखों की कोई नकल आदि प्रदाय नहीं की जाएगी और इसके आधार पर कोई प्रमाण पत्र अथवा प्रमाणीकरण भी जारी नहीं किया जाएगा। कृषकों को अभिलेखों की नकलें पूर्व की भांति तहसील कार्यालय से ही मूल अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार प्रदाय की जाती रहेंगी।

हस्ता/-
(एन.एस. भटनागर)
अपर सचिव
मप्र. शासन, राजस्व विभाग

अनुभाग अधिकारी
राजस्व विभाग शाखा-7

Scanned with CamScanner